



अपर समाहर्ता का न्यायालय (जिला राजस्व शाखा), गिरिडीह।

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

तिथि	पदाधिकारी के आदेश एवं हस्ताक्षर	पारित आदेश पर अनुपालन
13-04-2021	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>निम्न न्यायालयों के द्वारा बिहार, झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ प्राप्त अभिलेख में वर्णित मौजा-शाली, थाना/अंचल-जमुआ, थाना नं0-275, खाता नं0-06, प्लॉट नं0-1267, रकवा-1.60 एकड़ मांगधारी जयनाथ शर्मा के नाम जमाबंदी पंजी के पेज नं0-47, भौल्युम सं0-II तथा मौजा-शाली में ही दूसरा कायम जमाबंदी खाता सं0-06, प्लॉट सं0-1267, रकवा-1.00 एकड़ मांगधारी अशोक कुमार शर्मा के नाम जमाबंदी पंजी के पेज सं0-46 भौल्युम सं0-II पर कायम जमाबंदी को रद्द करने की प्राप्त निम्न न्यायालय की अनुशंसा को अनुमोदन दिया जाता है।</p> <p>अंचल अधिकारी, जमुआ को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का कायम जमाबंदी को तत्काल प्रभाव से रद्द की गई आदेश को पंजी-II पर लिपिबद्ध कर अद्योहस्ताक्षरी को संसूचित करना सुनिश्चित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>[Signature]</i> अपर समाहर्ता, गिरिडीह।</p> <p><i>[Signature]</i> अपर समाहर्ता, गिरिडीह।</p>	

गणराज्य के अन्तर्गत (जिला राजसमझार) गिराई

[प्राचीन का पत्राचार]

संख्या १११

जमाना २२/११/२०१९
(दिनांक २२४ अमितेव हस्त, १९१९)

संयुक्त प्रमुख-गुप्त और नगरपालिका

बाबत: २ विद्युत
जिला - राजसमझार
काम - मीटर मरामत

करीबत कर १११
प्रतिवही पिन - जमाना विद्युत
का २११, राजसमझार

प्रमाणित करने के अर्थ में
अमितेवगार में प्राप्त होने की तारीख

क्र. संख्या	काम का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पत्रों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७

आदेश की
क्रम संख्या
और
तारीख

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
रिपोर्ट के
नमूने में
दिनांक: तिथि

23518

अभिलेख उपस्थापित। अनुमण्डल पदाधिकारी राज भूमि सुधार उप समाहर्ता शोहिन्द्रका के पत्रांक 467/2018 दिनांक 16.05.2018 द्वारा मौजा शाही थाना नं० 275 खाता नं० 06 प्लॉट नं० 1262 रकबा 2.60 ए०३ एकड़ गैरमजबूत शाही भूमि का बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जयशंकर शर्मा केशव कुं 2111 के नाम कायम संदेहास्पद जमाबंदी को अंचल अधिकारी जयशंकर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता शोहिन्द्रका द्वारा रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख प्राप्त हुआ है।

सभी पक्षों को सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 8/6/2018 को रखी जाय।

अपर समाहर्ता,

2.6.18

शोहिन्द्रका, उप समाहर्ता, जयशंकर शर्मा केशव कुं 2111, गिरिडीह।